

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वसंत कुंज खेल परिसर
वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

संख्या ए फ2(55)वी के एस सी/04-05/डी डी ए/ खेल /4059

दिनांक: 15.04.2023

एन आई पी नंबर 01/वी के एस सी/डी डी ए/2023-24

तैराकी कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करना
वसंत कुंज खेल परिसर में

वसंत कुंज खेल परिसर (वी के एस सी) का स्विमिंग पूल जल्द ही जनता के लिए खुलने की संभावना है। स्विमिंग पूल में कोचिंग देने की आवश्यकता है।

वसंत कुंज खेल परिसर, डी डी ए, वसंत कुंज, नई दिल्ली में तैराकी कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रमुख खेल परिसरों/मनोरंजन क्लबों आदि में तैराकी कोचिंग आयोजित करने का पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्तियों/एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कोचिंग सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से आयोजित की जानी है। शाम 5:00 बजे तक परिसर द्वारा अधिसूचित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह में छह दिन। कोच प्रदान करने वाले व्यक्ति/एजेंसी को तैराकी में विशेष विशेषज्ञता होनी चाहिए और कोच को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

कोचिंग के लिए अनुबंध प्रदान करने के लिए बोर्ड के नियम और शर्तें नीचे दिए गए अनुच्छेदों में दी गई हैं:

पूर्व योग्यता मानदंड

1. जिन व्यक्तियों/एजेंसियों को प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे किसी भी प्रस्ताव को पार्टी को नोटिस दिए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, उसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने/किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी व्यक्ति/एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से मुख्तारनामा हो।
2. प्रतिबंधित कोच(कों) को नियुक्त करने वाला कोई भी व्यक्ति/एजेंसी भी रेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति/एजेंसी को पूल के लिए डेक क्षेत्र के लिए जनशक्ति प्रदान करने का ठेका दिया गया है, उसी परिसर में कोचिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

योग्यता और अनुभव

4. आवेदक ने पिछले तीन वर्षों में सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों/या प्रतिष्ठित निजी एजेंसियों द्वारा संचालित पूल/क्लब/स्कूल/संस्थाओं में समान प्रकृति के दो कार्य निष्पादित किए हों, जिनके पास ऐसे संस्थानों को चलाने के लिए सरकार की मंजूरी हो। बोली के साथ विभाग/संस्था से अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। जहां अनुभव किसी स्कूल का हो, स्कूल को यह प्रमाणित करना चाहिए कि पूल या तैराकी की सुविधा उसके परिसर में थी या उसके द्वारा संचालित थी। दावे के समर्थन में प्रशंसापत्र संलग्न करना होगा।
5. वास्तविक कोचिंग प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित कोचों को SAI/NIS/YMCA/सेना/नौसेना/वायु सेना खेल संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त निकाय से कोचिंग योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकरण की साख सत्यापन योग्य नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार डीडीए के पास सुरक्षित है। आवेदक को सभी कोचों के सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डीडीए द्वारा मानदंड में छूट दी जा सकती है यदि आवेदक दो साल या उससे अधिक के लिए किसी तैराकी कार्यक्रम में राष्ट्रीय चैंपियन रहा हो या तीन या अधिक अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। ऐसी भागीदारी का प्रमाण आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति का कोचिंग अनुभव तीन वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कोचिंग आयोजित करने का प्रमाण उस संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा जहां व्यक्ति द्वारा कोचिंग आयोजित की गई थी।
6. अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। प्रस्ताव के साथ प्रशंसापत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
7. योग्य व्यक्तियों को भी वरीयता दी जाएगी जो परिसर में व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करने का कार्य करते हैं।

पुरस्कार की शर्तें

8. पुरस्कार की अवधि औपचारिक पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने और पूल के बंद होने की तिथि के आधार पर छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए होगी। पूल को समय से पहले बंद करने का अधिकार डीडीए के पास सुरक्षित है और ऐसे बंद होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
9. समय, कोचिंग की अवधि आदि कॉम्प्लेक्स के सचिव द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगी।
10. एक पाली में प्रत्येक 10 प्रशिक्षकों पर एक कोच होगा। यदि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है, या किसी अन्य कारण से यदि परिसर की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति/एजेंसी अल्प सूचना पर अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराएंगे।
11. किसी भी अवयस्क की सगाई नहीं होनी चाहिए।
12. कोच/व्यक्ति/एजेंसी कॉम्प्लेक्स के सचिव के आदेश/निर्देशों के अनुसार अपना कार्य करेंगे। मौखिक निर्देश सहित जारी किए गए ऐसे सभी निर्देश और आदेश, सभी प्रस्तावों के लिए व्यक्ति/एजेंसी को जारी किए गए माने जाएंगे।

13. कोच को कार्यक्रम में सदस्यों/प्रतिभागियों के प्रति विनम्र और विनम्र होना चाहिए। व्यक्ति/एजेंसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम सौंपा है कि उसके कर्मचारी सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उचित शिष्टाचार और मर्यादा बनाए रखेंगे और स्विमिंग पूल में संचालन के लिए अनुकूल वातावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

14. सदस्यों के संबंध में समस्याओं या कठिनाइयों को जटिल कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कोच कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो कि परिसरों में मर्यादा के विपरीत हो। अनुशासन/सुरक्षा चिंताओं के उल्लंघन के मामले भी होने पर तुरंत जटिल प्रशासन को सूचित किया जाएगा और यदि बाद में लिखित रूप में आवश्यक हो।

15. अनुशासन भंग होने की स्थिति में कोच का आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में कॉम्प्लेक्स को हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

16. कोच को कॉम्प्लेक्स के सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित वर्दी पहननी चाहिए। बिना वर्दी के आने वाले कोच को ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा।

17. तैराकी कोचिंग सुविधा का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं को किसी भी चोट/जीवन की हानि/अप्रिय घटना के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। कोच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सभी सुरक्षा सावधानी बरती जाती है और ऐसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है यदि वे उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से उत्पन्न होती हैं।

18. सभी कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन और परिसर के सचिव की पुष्टि के बाद ही रखा जाएगा।

19. डीडीए द्वारा निर्धारित कोचिंग शुल्क, जिसकी पुष्टि परिसर से की जा सकती है, डीडीए द्वारा प्रशिक्षार्थियों से निर्धारित दर प्रति घंटा प्रति माह के हिसाब से वसूल की जायेगी। इसमें पूल के उपयोग के लिए कोई शुल्क शामिल नहीं है जो कोचिंग अनुबंध के दायरे में नहीं है।

20. कोचिंग का समय और अवधि डीडीए की कोचिंग नीति के अनुसार होगी और इन्हें डीडीए के विवेक पर बदला जा सकता है।

21. कोच निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा और यदि कोच ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाता है तो व्यक्ति/एजेंसी पर ₹ 1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोच अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से भाग लेने में असमर्थ है या अनुपस्थिति की छुट्टी की आवश्यकता है तो सचिव से लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी और प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाएगा। डीडीए किसी भी अनुपस्थिति के लिए कोच को भुगतान किए गए हिस्से से आनुपातिक राशि में कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, अनुबंध की पूरी अवधि में एक बार में दो दिन और 10 दिन से अधिक का विस्तार होता है।

22. व्यक्ति/एजेंसी के कोच/कर्मचारी के नौकरी पर होने की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी हानि/क्षति/चोरी की जिम्मेदारी व्यक्ति/एजेंसी की होगी और डीडीए व्यक्ति/एजेंसी से राशि वसूल करने का हकदार होगा।

23. कोचिंग 50:50 (व्यक्ति/एजेंसी को 50% और डीडीए को 50%) के राजस्व बंटवारे के आधार पर होगी। कोचिंग अवधि के दौरान एक महीने के दौरान एकत्रित शुल्क क्रमशः व्यक्ति/एजेंसी और कॉम्प्लेक्स के बीच साझा किया जाएगा। कोचिंग के महीने की समाप्ति के बाद व्यक्तिगत/एजेंसी के हिस्से का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

24. व्यक्ति/एजेंसी/कोच को सभी भुगतान केवल चेक के माध्यम से किए जाएंगे। कोच/व्यक्ति/एजेंसी को देय हिस्से से आवश्यक वैधानिक कटौतियां काट ली जाएंगी।

25. आवश्यक कटौतियों के बाद कोचिंग प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या के लिए हकदार हिस्से को छोड़कर अतिरिक्त नोटिंग का भुगतान किया जाएगा।

26. सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, व्यक्ति/एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया कोच या इसी तरह का व्यक्ति व्यक्ति/एजेंसी के कर्मचारी होंगे। व्यक्ति/एजेंसी ऐसे कर्मियों को सभी स्वीकार्य और/या अनुषंगी लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण व्यक्ति/एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए कर्मियों के किसी भी दावे के भुगतान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

27. जहां कोई व्यक्ति/एजेंसी कोच उपलब्ध कराने का वचन देता है, वह एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कोच (नों) को भुगतान अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा परिचालित दरों के अनुसार किया गया है। दावे का।

28. प्रस्तावक स्वीकार करता है, संशोधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने और समझने के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तक सीमित नहीं है। ईपीएफ योजना, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के साथ-साथ पूर्वोक्त विधियों के सभी वैधानिक प्रावधानों और नियोक्ता, कर्मचारी को शासित करने वाले समय के लिए अन्य सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का वचन देते हैं। एक ओर निविदाकर्ता/ठेकेदार और दूसरी ओर उनके कर्मचारियों के बीच संबंध। पार्टियों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है और स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों या अन्यथा के गैर-अनुपालन के लिए डीडीए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा और निविदाकर्ता/ठेकेदार केवल गैर-अनुपालन के लिए सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान और अन्य प्रासंगिक प्रावधान निविदाकर्ता/ठेकेदारों और उसके/उनके कर्मचारी को नियंत्रित करते हैं और डीडीए का कोई दायित्व नहीं होगा और डीडीए उपरोक्त विधियों या अन्यथा के समर्थन के लिए निविदाकर्ता/ठेकेदारों के कर्मचारी के साथ गोपनीय नहीं होगा।

29. कोच, या व्यक्ति/एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के मामले में, उस संबंध में आयुक्त (खेल) के आदेश कोच/व्यक्ति/एजेंसी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इसमें नहीं बुलाया जाएगा। किसी भी मंच के समक्ष प्रश्न। किसी भी विवाद के मामले में, आयुक्त (खेल) के व्यक्तिगत रूप से या लिखित में उचित नोटिस और सुनवाई के बाद आदेश अंतिम और कोच/व्यक्ति/एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज

30. प्रस्ताव में पहचान के प्रमाण, पैन कार्ड, बैंकों के लिए केवाईसी मानदंडों में निर्धारित निवास प्रमाण, शिक्षा प्रमाण पत्र, कोचिंग प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ व्यक्तियों का संक्षिप्त बायोडाटा शामिल होना चाहिए। खेल उपलब्धियों के प्रशंसापत्र, यदि कोई हों, भी संलग्न किए जाने चाहिए।

31. आवेदक और प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्तावित प्रत्येक कोच के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी।

32. एक व्यक्ति/एजेंसी के मामले में, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों के स्वामित्व विवरण, आयकर रिटर्न संलग्न किया जाएगा। एक कंपनी के मामले में, आरओसी को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न के साथ निदेशकों और प्राथमिक शेयरधारकों की सूची संलग्न की जानी चाहिए।

33. व्यक्तिगत आवेदकों को पिछले चार वर्षों में कम से कम दो मूल्यांकन आदेशों के साथ पिछले दो वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न जमा करना होगा।

34. संलग्न चेकलिस्ट को विधिवत पृष्ठांकित किया जाएगा।

प्रस्ताव पर विचार

35. आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत प्रस्ताव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

36. किसी भी सशर्त प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

37. डाक/कोरियर आदि से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

38. यदि प्रस्ताव की वैधता मुहरबंद प्रस्तावों के खुलने की तिथि से 60 दिनों की हो।

39. आयुक्त (खेल) के पास बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और यह किसी भी मंच, अदालत या कानून आदि के समक्ष संदिग्ध नहीं होगा।
प्रस्ताव प्राप्ति की अंतिम तिथि 22.04.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक है। प्रस्तावों को निम्नलिखित पते पर परिसर के स्वागत कक्ष में प्रदान किए गए निविदा बॉक्स में एक सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है।

सचिव,

वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए

सेक्टर: डी-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070

दूरभाष: 011 - 26136731/32

ईमेल: vkscdda@gmail.com

प्रस्ताव दिनांक 22.04.2023 को अपराह्न 3:30 बजे खोला जायेगा। उसी परिसर में उन सभी की उपस्थिति में जिन्होंने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

आर ई/वी के एस सी

प्रतिलिपि: (ईमेल के माध्यम से):

1. सचिव (समन्वय), खेल प्रकोष्ठ
2. निदेशक (सिस्टम), डीडीए - डीडीए वेबसाइट
3. सभी सचिव, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स - कॉम्प्लेक्स नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए

आ रई/वी के एस सी

जमा किए गए दस्तावेजों की जांच सूची (अनुबंध-I)

Sl. No.	Documents to be submitted	Submitted	Not Submitted	Remarks
1	Copy of registration of Firms/ Partnership Deed/ Society Registration Certificate			
2	Brief Bio Data of Individual Applicant or Individual/ agency/ partnership profile			
3	Copy of PAN Card			
4	Proof of Identity of Individual (Aadhar Card/ Voter Card)			
5	Proof of Residence (Voter Card/ Bank Certificate/ Utility Biil)			
6	Proof of experience			
7	Bio Data and qualification of coaches			
8	Photographs of coaches			
9	Identity proof of Coaches			
10	Residence proof of Coaches			
11	Testimonials of Performance at International / National/ State Level			
12	Copy of Income Tax Return for last two years			
13	Last 2 Years audited statement from Chartered Accountant			
14	Income Tax Assessment Order			
15	Other Documents (Specify Below)			

अन्य कागजात

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर स्थापना की मुहर

कॉम्प्लेक्स के लिए चेकलिस्ट

Sl. No.	Documents to be submitted	Submitted	Not Submitted	Remarks
1	Copy of registration of Firms/ Partnership Deed/ Society Registration Certificate			
2	Brief Bio Data of Individual Applicant or Individual/ agency/ partnership profile			
3	Copy of PAN Card			
4	Proof of Identity of Individual (Aadhar Card/ Voter Card)			
5	Proof of Residence (Voter Card/ Bank Certificate/ Utility Bill)			
6	Proof of experience			
7	Bio Data and qualification of coaches			
8	Photographs of coaches			
9	Identity proof of Coaches			
10	Residence proof of Coaches			
11	Testimonials of Performance at International / National/ State Level			
12	Copy of Income Tax Return for last two years			
13	Last 2 Years audited statement from Chartered Accountant			
14	Income Tax Assessment Order			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

मूल्यांकन पत्रक

Sl. No	Criteria	AE (Civil)	AAO	Secretary
1.	Debarred individual/agency	Yes / No	Yes / No	Yes / No
2.	Debarred Individual	Yes / No	Yes / No	Yes / No
3.	Deck Area Contract	Yes / No	Yes / No	Yes / No
	Signatures			

Sl. No.	Criteria	Marks/ Weightage	Scoring Guide	Marks Awarded
1.	Experience in years	15	(0 for 2 years, 5 for 3 years and 1 for each addl year , max 15)	
2.	NIS Qualified/ Armed Forces Certified	10	Only one to be awarded	
3.	Other equivalent Qualifications	5	Only one to be awarded	
4.	International Experience	10		
5.	National Experience	5		
6.	State Experience	2		
7.	Applicant will coach	15		
8.	Satisfactory Performance Certificate from DDA/ Govt. Agency	20	5 point for each year max of 20	
9.	Satisfactory Performance certificate from Hotel/ School/Private Agency	18	3 point for each year max of 18	
	Total	100		

सचिव/वी के एस सी

एएओ/वी के एस सी

आर ई/वी के एस सी